कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि जनपद न्यायालय, श्रावस्ती प्रांगण के बाहर की रिक्त भूमि पर एक अस्थायी दो अदद चाय स्टाल आदि की दूकान, एक अदद पेपर वेण्डर की दूकान व एक अदद फल की दूकान, न्यायालय परिसर में निर्मित कैन्टीन भवन में कैन्टीन संचालन हेतु खुली बोली के द्वारा सार्वजनिक नीलामी दिनांक–05–03–2024 को सायंकाल 3.30 से 4.30 बजे तक जनपद न्यायालय, श्रावस्ती के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति के अध्यक्ष श्री सुदामा प्रसाद प्रभारी अधिकारी नजारत/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती की अध्यक्षता में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

जिला न्यायालय परिसर में कैन्टीन एवं अस्थायी वेण्डिंग जोन की उक्त दुकानों हेतु दी जाने वाली नीलामी की शर्तों का विवरण इस प्रकार है:–

क्रम सं	स्थल	धरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि
1–	कैन्टीन	50000/–	1,80,000/–
2–	एक अदद पेपर वेण्डर के लिए खाली प्लाट संख्या–B	11000/–	1,26,500/–
3–	एक अदद फल की दूकान के लिए खाली प्लाट संख्या–C	11000/–	1,10,000/–(पिछले वित्तीय वर्ष में बोली लगाने हेतु कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ)
4–	एक अदद चाय स्टॉल के लिए खाली प्लाट संख्या–D	15840/–	1,58,400/–(पिछले वित्तीय वर्ष में बोली लगाने हेतु कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ)
5–	एक अदद चाय स्टॉल के लिए खाली प्लाट संख्या–E	16500/–	1,87,000/–

01– ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु दिनांक–01–04–2024 से दिनांक–31–03–2025 तक के लिए होगी।

02– नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक–05–03–2024 को दोपहर 02 बजे तक धरोहर धनराशि जमा कर सायं 04 बजे नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।

03– न्यायालय परिसर में पान मसाला गुटका, सिगरेट, शराब व नशीली अन्य अवैध वस्तुएं प्लास्टिक, पॉलीथीन, ज्वलनशील पदार्थ कदापि विक्रित नहीं की जा सकती।

04– ठेकेदार बिजली, पानी एवं स्टाल संबंधी अस्थायी व्यवस्था स्वयं करेंगे।

05– ठेके से संबंधित किसी भी विवाद पर जिला न्यायाधीश श्रावस्ती महोदय का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

06– नीलामी ठेका पक्ष में होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100 रूपये के स्टाम्प पर शर्तों की अण्डरटेकिंग देना होगा तथा उसे समय–समय पर जारी माननीय जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती के आदेशों का पालन करना होगा।

07– ठेकेदार को दो व्यक्ति जमानतदार के रूप में नाम पता मय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेगा, धनराशि जमा न करने पर जमानतदारों से नीलामी धनराशि वसूल की जायेगी।

08– यदि एक ही बोलीदाता एक से अधिक दुकान/ स्टाल की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/स्टाल के लिए अलग–अलग धरोहर राशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता को दुकान/स्टाल का ठेका नही मिलता तो उसकी सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी।

09– प्रत्येक ठेकेदार को ठेके की धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह मे जमा करनी होगी।

10– किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने के उपरान्त निरस्त नही की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी की प्रथम त्रैमास की किस्त जमा करने के उपरान्त ठेका चला नही पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

11– ठेका आवंटित होने के उपरान्त ठेकेदार दुकान चलाने हेतु आवंटित प्लाट पर अस्थायी खोखा अथवा स्टॉल रखेगें। ठेका अवधि दिनांक 31.03.2025 को पूर्ण होने पर ठेकेदार स्वयं अपना सामान स्वयं के खर्चे पर उठा लेगें तथा एवं भूमि का कब्जा प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत अनुभाग को उसी अवस्था में देंगे जिस अवस्था में उसे प्रदान किया गया था।

12– सफल बोलीदाता की धरोहर राशि चतुर्थ त्रैमास की किस्त मे समायोजित की जायेगी।

13– आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति तथा पूर्व मे ठेके की किस्त न जमा करने वाले व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों के जमानतदार का बोली मे भाग लेना वर्जित रहेगा। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।

14– प्रत्येक वस्तु की मूल्य–सूची ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय नजारत अनुभाग को उपलब्ध करानी होगी।

15– सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी ही धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल–अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की छायाप्रति केंद्रीय नजारत में उपलब्ध कराने होंगे।

16– खाद्य पदार्थ की वस्तुएं मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जाँच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकेगी। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर

उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा विवाद सम्बन्धित समस्त क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।

17– माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या १०१/AA दिनाँकित १७.०९.१९५२ में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार खाद्य पदार्थ के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्पा करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थों के मूल्य से अधिक दर पर बिक्री नहीं करेगा।

18– माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र सं०–१४ दिनांकित ०८.०२.१९५६ के अनुसार जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते हैं एवं उससे कम नीलामी की बोली लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते हैं।

उक्त ठेका नीलामी के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी दिवस से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.30 बजे तक के मध्य केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय श्रावस्ती में सम्पर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

(सुदामा प्रसाद)
अध्यक्ष
नीलामी समिति/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती।